

10/5/2022

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्राथी गठ
उपस्थित। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित-रहने से
उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आगल में लई
जाती है। वकील काफ़ी प्राथीगण की एकपक्षीय
व्यवस्था सुनी गई। मोठे पर विवाद की विधिति
को मध्यनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी
अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 01/5/2022 को मूलवाद
के निस्तारण तक पुष्ट (Confirmation) दिया जाता है। पत्रावली
निर्णय शुभ्रा हो। ~~दस्तावेज~~ दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के
व्यवस्था नली की जावे। (M)

